

औद्योगिक प्राधिकरणों में भवन मानचित्र की मंजूरी होगी आसान

मॉडल भवन विनियम-2026 को कैबिनेट की मंजूरी, मूल्यवान भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों में भवन मानचित्र और भूखंड अनुमोदन की प्रक्रिया अब और सरल, पारदर्शी एवं नागरिक अनुकूल होगी। कैबिनेट बैठक में 'उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन विनियम, 2026' के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई।

यह कदम नगरीय विस्तार, अवस्थापना विकास और निजी निवेश को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। नए विनियमों से भवन या भूखंड मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया आसान होगी और विकसित किए जा सकने योग्य मूल्यवान भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे विनिर्माण,



लोकभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में बोलते वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। साथ में मंत्री नंद गोपाल नंदी और एके शर्मा। अमर उजाला

पर्यटन, आईटी/आईटीईएस, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और रियल एस्टेट सहित विभिन्न क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रस्ताव के मुताबिक, अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक

विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में अलग-अलग भवन विनियम लागू हैं। समय-समय पर हुए संशोधनों के कारण इन नियमों में अंतर के साथ ही कुछ प्रावधान जटिल भी हो गए हैं। नए मॉडल विनियमों से इस अंतर को कम

करने की कोशिश की गई है।

मॉडल भवन विनियमों का प्रारूप तैयार करने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आम लोगों और संबंधित हितधारकों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए थे। समिति ने इनका परीक्षण करने के बाद प्रारूप में 45 संशोधन शामिल करने की संस्तुति की। मॉडल विनियमों में नियोजन एवं विकास नियंत्रण, भवन निर्माण और अधिभोग, विकास अनुमति, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई एवं शमन, अभिलेखों का रखरखाव तथा प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

खाली औद्योगिक भूमि पर समूह की कंपनियां कर सकेंगी काम

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को गति देने और आवंटित जमीन का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए अब एक ही औद्योगिक भूखंड पर मूल आवंटि की सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और समूह की अन्य कंपनियों को भी काम करने की अनुमति कैबिनेट ने दे दी है। इसके लिए मूल आवंटि की संबंधित कंपनी में कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी और प्रबंधकीय नियंत्रण अनिवार्य होगा। साथ ही सभी इकाइयों का प्रस्तावित निवेश कम से कम 200 करोड़ रुपये होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में निवेश की इस शर्त में छूट दी जा सकेगी।

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश एफडीआई/एफसीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों की निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत आवंटित जमीन के इस्तेमाल में परिचालन संबंधी लचीलापन देने की व्यवस्था की गई है।

200 करोड़ निवेश की होगी शर्त

इसका उद्देश्य बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को अलग-अलग कंपनियों के जरिये संचालित करने में आने वाली अड़चनें दूर करना है।

उन्होंने बताया कि औद्योगिक भूखंड का मूल आवंटि ही प्राथमिक पट्टाधारी बना रहेगा। संबद्ध कंपनी को जमीन पर काम करने की अनुमति मिलने का अर्थ भूखंड का हस्तांतरण, पट्टाधिकारों का असाइनमेंट या किसी तीसरे पक्ष के अधिकार पैदा करना नहीं होगा। मूल आवंटि को अपनी पात्र संबद्ध कंपनियों के माध्यम से प्रस्तावित सभी गतिविधियों का उल्लेख भूमि आवंटन के लिए प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में पहले ही करना होगा। इन गतिविधियों के लिए अलग अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि जमीन का इस्तेमाल केवल अनुमत औद्योगिक गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। पर्यावरण, सुरक्षा, आगशमन, श्रम और अन्य वैधानिक मंजूरीयों का पालन भी अनिवार्य होगा।